भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2571
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

खरीद नीति

2571. श्री जनक राम:
श्री हरि मांझी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खरीद नीति के अंतर्गत घरेलू कीमतों में वृद्धि के प्रति नकारात्मक रवैया, कठोर संविदा शर्तें, लगातार आयात, पुरानी मशीनों का प्रयोग तथा उक्त मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए किसी प्रोत्साहन का अभाव, आयात परियोजना के अंतर्गत शून्य आयात शुल्क तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण घरेलू मांग में बाधा आती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति, 2016 ने यह ज्ञात किया है कि सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीतियों में घरेलू मूल्य वृद्धि के प्रति सकारात्मक रुझान के अभाव, संविदा की कठिन परिस्थितियों, लगातार आयात किए जाने तथा पुरानी मशीनरी बदलने के लिए प्रोत्साहन दिए बगैर पुरानी मशीनरी का प्रयोग करते रहने, 'परियोजना आयात' के अंतर्गत शून्य शुल्क आयात तथा परियोजना कार्यान्वयन में विलंब जैसे मुद्दों की वजह से कैपिटल गुड्स की घरेलू मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(ख): फरवरी, 2017 में वित्त मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माताओं द्वारा अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी ई-मार्किट प्लेस, जीवन-चक्र लागत, स्थानीय रूप से विनिर्मित सामान को वरीयता देते हुए प्रतिलोम नीलामी और खरीद जैसे उपायों की शुरुआत के जरिए सामान्य वित्तीय नियमावली में संशोधन किया।

हाल ही में, 15 जून, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 'मेक इन इंडिया' पहल पर सार्वजनिक अधिप्राप्ति का सकारात्मक असर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ उपाय जैसे कि- खरीद की वरीयता स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को दिए जाने की आवश्यकता, स्थानीय सामग्री का न्यूनतम निर्धारण, विशिष्टिकरण की अग्रिम तौर पर आवश्यकता, लाइसेंस के अंतर्गत स्थानीय सामग्री के न्यूनतम निर्धारण और विनिर्माण में वृद्धि, चरणबद्ध स्वदेशीकरण के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार निहित हैं।

इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय ने 01.04.2016 से अपनी अधिप्राप्ति प्रक्रिया संशोधित कर दी थी जिसके अंतर्गत रक्षा अधिप्राप्ति में घरेलू विनिर्माणकर्ताओं की भागीदारी को सुसाध्य बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

******